

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश नर्मदापुरम(म0प्र0)

—:आदेश:—

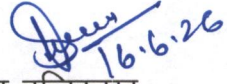
क्रमांक 614 / दो-11-15 / 2019

नर्मदापुरम, दिनांक 16.06.2026

श्री विक्की पाटिल साक्ष्य लेखक न्यायालय प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड पिपरिया का दिनांक 17.06.2026 से 27.06.2026 तक कुल 11 दिवस का अर्जित अवकाश, मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति सहित, स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश स्वीकृति पश्चात् आवेदक के अर्जित अवकाश लेखे में 176 दिवस का स्वत्व शेष है।

- 1— उपरोक्त अवकाश अवधि में धारित पद रिक्त रहेगा।
- 2— अवकाश अवधि मूलभूत नियम 26 (बी) (दो) के तहत प्रमाणित की जाती है।


16.6.26
जिला रजिस्ट्रार
सिविल कोर्ट नर्मदापुरम,(म.प्र.)

पृ0क0-533 / दो-11-15 / 2019

नर्मदापुरम, दिनांक 16.06.2026

यथाआदेश प्रतिलिपि:—

01. प्रभारी अधिकारी नजारत अनुभाग, पिपरिया की ओर सूचनार्थ प्रेषित है।
02. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड पिपरिया की ओर श्री विक्की पाटिल साक्ष्य लेखक को सूचित कराये जाने हेतु प्रेषित है।
03. जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, नर्मदापुरम की ओर वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित है।


16.6.26
जिला रजिस्ट्रार
सिविल कोर्ट नर्मदापुरम,(म.प्र.)